पत्र सूचना शाखा
सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उ0प्र0

राज्यपाल ने 'अटल बिहारी वाजपेयी चिकित्सा विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश विधेयक 2018' पर अपनी सहमति प्रदान की

लखनऊः 22 दिसम्बर, 2018

उत्तर प्रदेश के राज्यपाल श्री राम नाईक ने 'अटल बिहारी वाजपेयी राज्य चिकित्सा विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश विधेयक 2018' पर अपनी सहमति प्रदान कर दी है। राज्य सरकार ने पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की स्मृति में अटल बिहारी वाजपेयी चिकित्सा विश्वविद्यालय की लखनऊ में स्थापना करने का निर्णय लिया है।

अटल बिहारी वाजपेयी राज्य चिकित्सा विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश विधेयक 2018 पर राज्यपाल की अनुमति से प्रदेश में 'अटल बिहारी वाजपेयी चिकित्सा विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश' की स्थापना होगी। उत्तर प्रदेश के राज्यपाल जिसके कुलाधिपति होंगे। विश्वविद्यालय का मुख्य उद्देश्य मेडिसन, दन्त विज्ञान, परिचर्या, पराचिकित्सत्सा और अन्य शाखाओं में ज्ञान का प्रसार और उसकी अभिवृद्धि करना है। इसके साथ ही स्थापित होने वाले नवीन चिकित्सा विश्वविद्यालय द्वारा, (1) सरकारी और साथ ही साथ निजी प्रबन्धकृत संस्थाओं को सम्बद्ध करना तथा उनकी परीक्षाएं संचालित करना और राज्य के कतिपय अन्य विश्वविद्यालयों के अधिनियमों में संशोधन करके उनकी सम्बद्धता की शक्ति को समाप्त करना, (2) चिकित्सालयों, निदान केन्द्रों तथा रक्त बैंकों को प्रशासित करना, उनका प्रबंध करना तथा उन पर नियंत्रण रखना, (3) पारम्परिक तथा अभिनव क्षेत्रों में अनुसंधान को सुगम बनाना, (4) अध्यापकों तथा अन्य प्राविधिक एवं पराचिकित्सीय अभ्यर्थियों के लिए प्रशिक्षण प्रदान करने हेतु केन्द्र स्थापित करना, (5) विश्वविद्यालय का कृत्य अन्य बातों के साथ-साथ संघ, राज्य तथा अन्य अभिकरणों की विभिन्न योजनाओं को क्रियान्वित करना होगा।

ज्ञातव्य है कि स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी लखनऊ में पांच बार सांसद रहे तथा यहीं से सांसद रहते हुए प्रधानमंत्री पद को भी सुशोभित किया था। 16 अगस्त, 2018 को उनके निधन के पश्चात् उत्तर प्रदेश सरकार ने उनकी स्मृति में कई योजनाओं सहित राज्य चिकित्सा विश्वविद्यालय की स्थापना करने का फैसला किया था। 'अटल बिहारी वाजपेयी चिकित्सा विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश विधेयक 2018' राज्य विधान सभा और विधान परिषद में 20 दिसम्बर, 2018 को प्रस्तुत किया गया था। विधेयक से संबंधित पत्रावली दोनों सदनों से पारित होकर राज्यपाल की औपचारिक अनुमति के लिये 21 दिसम्बर, 2018 को राजभवन में प्राप्त हुई थी।

अंजुम/दिलशाद/राजभवन (491/22)